न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 215/2024

निर्णय दिनांक 27.08.2025

जीसीएमएस नम्बर 2024/447

मांगुसिंह पुत्र दुर्जन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का पैतृक संयुक्त खातेदारी का के खेत खसरा नं. 232,326,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर रोही जाखासर में स्थित है। वादी के पिता दुर्जन सिंह की मृत्यु के बाद वादगत खेतों में दुर्जन सिंह के वारिसान वादी व वादी के भाईयों के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 341 दिनांक 05.06.2014 को 1/7 हिस्सा के रूप से खातेदारी दर्ज हो गई। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी व वादी के भाईयों के नाम वादी के पिता दुर्जन सिंह पुत्र श्याम सिंह की मृत्यु के बाद जरिये विरासतन इन्तकाल दर्ज हुई है। वादी के पिता दुर्जन सिंह की मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम खेत खसरा नं. 232,320,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर रोही जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ में दर्ज करा दिया गया। विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी से किसी प्रकार की कोई आई.डी नहीं ली गई थी और वादी को घर परिवार आदि में उनके बोलते नाम व लाड प्यार के नाम मांगीसिंह दर्ज करा दिया गया जो कि सही नहीं था। जिस समय अंतकाल दर्ज करवाया था उस समय वादी के पिता के वारिसानों का वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी का नाम मांगूसिंह अंकित है। वादी केवल साक्षर व ग्रामीण परिवेश की पुरूष है। वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड पट्टा बने तो उसमें वादी का नाम मांगूसिंह अंकित करा दिया गया जो आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। यानि वादी, का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम मांगूसिंह है। वादी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि की जमांबदी व इन्तकाल आदि की नकले दिनांक 05.08.2024 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि उनके पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नं. 232,435 व 326 वाकेरोही जाखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह अंकित कर रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही मांगूसिंह है दर्ज नाम मांगीसिंह जो कि गलत है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाने की अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत मांगीसिंह अंकित चला आ रहा है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में वादी का सही नाम मांगूसिंह अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तत की जा रही है। वर्णित खेत खसरानं. 232,326,435 रोही जाखासर में मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ दर्ज है। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा निहित है । जिस पर वादी का उक्त हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त भूमि में वादी का गलत नाम व पता अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूबवै[illegible] करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी [illegible] जनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहा है। वादगत खेतों में [illegible] गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने कई बार मौके व लिखित निवेदन प्र[illegible] से किया कि मेरा नाम मांगूसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित कर दिया है। जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोषणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने सही नाम व पते की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी । यानि वादगत खेतों में वादी का नाम अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेतों में वादी का नाम व पता परिवर्तन होने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादगत खेत रोही मौजा जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयवधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नं. 232,326,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) वादगत खेत खसरा नं. 232,326,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर रोही जाखासर में वादी का नाम मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का सही नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर किया जाकर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी के नाम से जारी किये जाये और उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गइ। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निर्णय

खेत खसरा नं. 232,326,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का शुद्ध नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

मांगुसिंह पुत्र दुर्जन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
मुकदमा नम्बर 215/2024
दावा बाबतः घोष्णात्क, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री रणवीरसिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नं. 232,326,435 कुल तादादी 13.8000 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह अंकित हो रखा है उसके स्थान पर वादी का शुद्ध नाम मांगूसिंह पुत्र दुर्जनसिंह घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी....... को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2025.09.09 17:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)